



हरियाणा HARYANA

02AA 108995

व्यान हल्किया तथा वचन पत्र


मैं सतबीर सिंह पुत्र श्री गंगा राम उम्र 41 वर्ष निवासी गांव अम्बेडकर कालोनी, मकान नंबर 200, ब्रिजवासन, दिल्ली अपने हल्क से शपथपूर्वक व्यान तथा वचन देता हूँ :-

1. यह कि मैं फैशन एक्सप्रैस प्लाट नंबर 100 फेस-1, उद्योग विहार, गुडगांव में कार्यरत श्रमिक हूँ और श्रमिकों के संगठन फैशन एक्सप्रैस कर्मचारी संगठन रजिस्टरेशन नंबर 1825 का सर्व सम्मति से निर्वाचित प्रधान हूँ।
2. यह कि मुझे मैसर्ज फैशन एक्सप्रैस के प्रबन्धकों ने दिनांक 24/11/06 के आदेश द्वारा गैर कानूनी रूप से नौकरी से निकाल दिया है। मेरे साथ तीन अन्य श्रमिकों सर्व श्री आनन्द कुमार, श्याम दत्त, बाबू लाल को भी नौकरी से निकाल दिया गया है।
3. यह कि उपरोक्त मामले में तथा यूनियन के अन्य मामलों को लेकर संस्थान के श्रमिकों तथा यूनियन के सदस्यों की आम सभा दिनांक 28.11.06 को शनि मन्दिर के प्रांगण में सम्पन्न की गई थी। जिसमें एटक हरियाणा के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री भीमसैन प्रभाकर, दिनेश कुमार वर्मा, एटवोकेट, बलबीर कम्बोज तथा क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट यूनियन के प्रधान रमेश भडाना सहित कई पदाधिकारियों ने भी भाग लिया था।

10523

Sellist St. Goya ser

AG



4. यह कि उपरोक्त मिटिंग के दौरान मेरे सहित नौकरी से निकाले गए चारों श्रमिकों ने सभी श्रमिकों व उपरोक्त व्यक्तियों के सम्मुख यह व्यान दिया था और यह शपथ ली थी कि चारों नौकरी से निकाले हुए श्रमिक किसी भी सूरत में प्रबन्धकों से आपसी समझौता नहीं करेंगे और हिसाब किताब लेने की कोई बात नहीं करेंगे तथा प्रबन्धकों के गैर कानूनी कृत्य के विरुद्ध संधर्ष करेंगे। इस मिटिंग में उपस्थित सभी यूनियन सदस्यों ने संधर्ष में तन, मन, धन से पूरा सहयोग देने का वचन दिया था।

5. यह कि मैं निजी तौर पर भी वचन देता हूँ कि मैं प्रबन्धकों से किसी प्रकार की काई आपसी बातचीत नहीं करूँगा और हिसाब किताब नहीं लुँगा। अर्थात् नौकरी बहाली व अन्य मामलों में संधर्ष के रास्ते को ही अपनाउंगा।

6. यह कि मैंने अपने नौकरी बहाली के मामले के लिए श्री भीमसैन प्रभाकर, श्री सुरेश गौड़, श्री बलबीर काजल एटक प्रतिनिधियों तथा श्री दिनेश कुमार वर्मा एडवोकेट को अधिकृत किया हुआ है। जो कि हमारी यूनियन के अन्य मामले भी देख रहे हैं।

7. यह कि यदि मैंने उपरोक्त दिये गए शपथ पत्र तथा वचन पत्र को तोड़ा या उल्लंघन किया और यदि प्रबन्धकों से नौकरी बहाली के मामले में सीधे तौर पर कोई आपसी समझौता किया और चूकता हिसाब लिया तो उस सूरत में मैं बतौर फीस और हर्जाना 22,000/- लपये (बाइस हजार) रुपये की राशि जिला एटक कमेटी को सुरेश गौड़ प्रधान के माध्यम से अदा करने का वचन देता हूँ।

स्थान : गुडगाँवा

दिनांक : 20.12.2006

व्यानकर्ता

सतवीर सिंह
22-12-2006

सत्यापन

मैं सतबीर सिंह उपरोक्त व्यानकर्ता सत्यापित करता हूँ कि मेरे उपरोक्त व्यान हलिया पेज 1-7 में जो भी लिखा गया है यह सब बाते पूरी सूझ बूझ से सही तथा दुरुस्त लिखी है। कोई भी बात ना तो गलत है और ना ही छुपाई गई है।

स्थान : गुडगाँवा

दिनांक : 20.12.2006

ATTTESTED

Oath Commissioner
GURGAON

शपथकर्ता

सतवीर सिंह
22-12-2006